रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 2004/अग्रहायण 1, 1926
No. 513] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 2004/AGRAHAYANA 1, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2004

सा.का.नि. 760(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सीमा सुरक्षा बल, मुख्य अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 और नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** :—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो सीमा सुरक्षा बल निर्देशिका जिल्द-9 में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में आते हैं इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

10. **वर्दी और बुनियादी प्रशिक्षण** :—इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल निर्देशिका जिल्द-7 में यथा विनिर्दिष्ट वर्दी पहनेंगे और सिविल पदों और बार से नियुक्त व्यक्ति उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पर विधि के क्षेत्र में, कार्यालय प्रक्रिया, लेखे और ऐसे अन्य विषयों में जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, नौ सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।"

3. उक्त नियमों में, मुख्य विधि अधिकारी के पद के सामने, स्तंभ 5 के अधीन विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन।"

4. इन नियमों में, विधि अधिकारी श्रेणी-I के पद के सामने :-

(अ) स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"*10

(2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।" ;

(आ) स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ,अर्थात् :-

" चयन ।" ;

(इ) स्तंभ 12 के अधीन :-

(i) (I)प्रोन्नति द्वारा शीर्षक के अधीन मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(क) ऐसा विधि अधिकारी श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो ; जिसके न हो सकने पर

(ख) ऐसा विधि अधिकारी श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने उस बल में 10000-15200 रुपए के वेतनमान में कुल नौ वर्ष नियमित सेवा की हो तथा विधिक कार्यों में कुल नौ वर्ष का अनुभव हो।" ।

(ii)(II) प्रोन्नति/आमेलन द्वारा शीर्षक के अधीन :-

(1) "8" और "10" अंकों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, "नौ" शब्द रखा जाएगा ;

(2) मद (क) में "विधिक कार्यों का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव है" शब्दों के स्थान पर "विधिक कार्यों का नौ वर्ष का अनुभव है" ,या उस बल का ऐसा उप कमांडेंट जिसके पास विधि में डिग्री है और जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है तथा विधिक कार्यों का नौ वर्ष का अनुभव है और जिसने समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष सेवा की है" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी ,अर्थात् :-

"(ग) संघ के किसी सशस्त्र बल में जज एडवोकेट के विभाग में कर्नल या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी या जज एडवोकेट विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी जिसने पंद्रह वर्ष कमीशन सेवा की हो ।" ;

(4) मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी ,अर्थात् :-

"(ङ) राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है ।"

5. उक्त नियमों में विधि अधिकारी श्रेणी- II के सामने :-

(अ) स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"*12

(2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।" ;

(आ) स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ,अर्थात् :-

"चयन ।" ;

(इ) स्तंभ (11) के अधीन "आमेलन" शब्द के स्थान पर "आमेलन/पुनर्नियोजन" शब्द रखे जाएंगे;

(ई) स्तंभ (12) के अधीन मद (2) के पश्चात् और प्रतिनियुक्ति की अवधि से संबंधित टिप्पणों के पूर्व निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

" या (iii) राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य , जिसने छह वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iv) ऐसा कमीशन अधिकारी जिसने छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास संघ के सशस्त्र बलों में जज एडवोकेट के विभाग में विधिक कार्यों का तीन वर्ष का अनुभव है , या

(v) ऐसा अधिकारी जिसके पास विधि में डिग्री है और जिसके पास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 8000-13500 रुपए के वेतनमान में अभियोजन परामर्शी के रूप में छह वर्ष का अनुभव है ।"

[फा. सं. 17/14/2000-कार्मिक/बीएसएफ]

श्याम जिन्दल, उप सचिव (कार्मिक-I)

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 260(अ) तारीख 13 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2004

G.S.R. 760(E).— In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Chief Law Officers and Law Officers Recruitment and Conditions of Service Rules, 1999, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Chief Law Officers and Law Officers Recruitment and Conditions of Service (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Chief Law Officers and Law Officers Recruitment and Conditions of Service Rules, 1999 (hereinafter referred to as the said rules), for rules 9 and 10, the following rules shall be substituted, namely:-

"9. Medical fitness.- Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Border Security Force Manual Volume- IX, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

10. Uniform and basic training.- Persons appointed under the provisions of these rules shall have to wear the uniform as specified in the Border Security Force Manual Volume-VII and the persons appointed from the civil posts or Bar shall have to complete successfully nine weeks basic training on their initial appointment in the field of law, office procedure, accounts and such other subjects as may be specified, from time to time, by the Director General.".

3. In the said rules, against the post of Chief Law Officer, under column 5, for the entries, the following entry shall be substituted, namely:-

"Selection.".

4. In the said rules, against the post of Law Officer Grade-I,-

(A) under column 2, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"*10

(2004)

* Subject to variation dependent on work load.";

(B) under column 5, for the entries, the following entry shall be substituted, namely:-

"Selection.";

(C) under column 12,-

(i) under the heading- I. By Promotion, for item (i), the following items shall be substituted, namely:-

"(a) Law Officer Grade-II with nine years regular service in the Grade; failing which

(b) Law Officer Grade-II with four years regular service in the Grade and having total nine years regular service in the pay scale of Rs.10000-15200 in the Force with total nine years experience in legal affairs.";

(ii) under the heading- II. By deputation/absorption,-

(1) for figures "8" and "10", wherever they occur, the word "nine" shall be substituted;

(2) in item (a), for the figure and words "8 years experience in legal affairs", the words "nine years experience in legal affairs, or a Deputy Commandant of the Force having Degree in law and nine years regular service in the grade with nine years experience in legal affairs and having total fifteen years of Group 'A' service" shall be substituted;

(3) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-

"(c) An officer of the rank of Colonel or equivalent in the Department of Judge Advocate General or an officer of the rank of Lieutenant. Colonel. or equivalent in the Department of Judge Advocate General with fifteen

years commissioned service, in any of the Armed Forces of the Union.";

(4) after item (d), the following item shall be inserted, namely:-

"(e) a member of the State Judicial Service having fifteen years regular service.".

5. In the said rules, against the post of Law Officer Grade-II,-

(A) under column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"*12

(2004)

* Subject to variation dependent on work load.";

(B) under column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Selection.";

(C) under column (11), for the word "absorption", the words "absorption/ re-employment" shall be substituted;

(D) under column (12), after item (ii) and before the notes relating to the period of deputation, the following items shall be inserted, namely:-

"or (iii) A member of the State Judicial Service having six years regular service, or

(iv) A commissioned officer with six years regular service and having three years experience in legal affairs in the Department of Judge Advocate General in the Armed Forces of the Union, or

(v) An officer having Degree in Law and experience of six years as a prosecution Counsel in the pay scale of Rs.8000-13500 under the Central Government or a State Government.".

[F. No. 17/14/2000-Pers/BSF]

SHYAM JINDAL, Dy. Secy. (Pers-I)

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 260(E), dated the 13th April, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.